

पालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाङमेर

पीठासीन अधिकारी-श्री नीरज मिश्र, आर.ए.एस

दिनांक - 01.4.19

रीडर/2019/636

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थीगण

प्रतापाराम पुत्र धनाराम जाति रबारी
निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाङमेर।

1 पूनमसिंह पुत्र हमीरसिंह वगैराह जाति
राजपुरोहित निवासी लंगेरा तहसील व
जिला बाङमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 67/2019 दिनांक- 27.03.2019

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा लंगेरा पटवार क्षेत्र आटी तहसील व जिला बाङमेर के खसरा संख्या 589/118 रकबा 13.00 बीघा भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाङमेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।



(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी,
बाङमेर

दिनांक- 01.4.19

क्रमांक :- रीडर/2019/637-40

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाङमेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी आटी तहसील बाङमेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रतापाराम पुत्र धनाराम जाति रबारी निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाङमेर।
4. विप्रार्थी पूनमसिंह पुत्र हमीरसिंह वगैराह जाति राजपुरोहित निवासी लंगेरा तहसील व जिला बाङमेर।



उपखण्ड अधिकारी,
बाङमेर